



2026:AHC:163582

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27104 / 2026

बिहारी कुशवाहा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शशि प्रकाश शर्मा

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. यह आवेदक की ओर से दायर की गई द्वितीय जमानत आवेदन है और आवेदक की प्रथम जमानत आवेदन माननीय न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 9525/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2023 द्वारा खारिज कर दी गई थी, किन्तु चूंकि माननीय न्यायमूर्ति ने अपना ऑफिस छोड़ दिया है और यह पीठ ऐसे मामलों पर विचार कर रही है, इसलिए यह द्वितीय जमानत आवेदन इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पं. शशि प्रकाश शर्मा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अजय सिंह को सुना।

3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 270/2017 अंतर्गत धारा 302, 120बी आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन - कोतवाली, जिला - झांसी में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि यह आवेदक की ओर से दायर की गई द्वितीय जमानत आवेदन है, किन्तु वर्तमान मामले में आवेदक 01.07.2017 से अर्थात् पिछले नौ वर्षों से अधिक समय से जेल/कारागार में है और आज तक मामले का विचारण समाप्त नहीं किया जा सका है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों से पूछताछ की जा चुकी है और यहां तक कि अभियुक्तों के बयान भी धारा 313 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज किए जा चुके हैं, किन्तु इसके बाद विचारण आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वर्तमान मामले का विचारण आयुध अधिनियम से संबंधित एक अन्य विचारण संख्या 337/2017 से जुड़ा हुआ है और संबंधित मामले का विचारण साक्ष्य चरण में है, इसलिए विचारण के शीघ्र निस्तारण होने की कोई संभावना नहीं है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर गंभीर मामलों में भी उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक विचारण में कोई देरी नहीं कर रहा है और न ही विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का छः अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, किन्तु चार मामलों में उसे वर्तमान मामले के बाद अभियुक्त बनाया गया है और शेष दो मामलों में उसे पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है।

8. इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई द्वितीय जमानत आवेदन है और आरोप के अनुसार, आवेदक ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर शब्बीर की गोली मारकर हत्या की है और आरोप के अनुसार, आवेदक और अन्य लोगों द्वारा चलाई गई गोली के कारण एक अन्य राहगीर भी घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए यह दोहरी हत्या का मामला है। हालांकि, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिए गए अन्य तथ्यों से संबंधित तर्कों का वे खंडन नहीं कर सके,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आवेदक पिछले नौ वर्षों से अधिक समय से जेल/कारागार में है और इस मामले की सुनवाई अब तक इसलिए पूरी नहीं हो सकी है क्योंकि वर्तमान मामले की सुनवाई के साथ-साथ आयुध अधिनियम से संबंधित सत्र विचारण भी चल रहा है और उस विचारण की सुनवाई साक्ष्य चरण में है।।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

11. हालांकि, यह आवेदक की ओर से दायर की गई द्वितीय जमानत आवेदन है और उनकी प्रथम जमानत आवेदन आदेश दिनांक 03.04.2023 द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी। किन्तु इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले में आवेदक 01.07.2017 से अर्थात् पिछले नौ वर्षों से अधिक समय से जेल/कारागार में है। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियोजन पक्ष के साक्षियों से पूछताछ की जा चुकी है और यहां तक कि अभियुक्तों के बयान भी धारा 313 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज किए जा चुके हैं, किन्तु इसके बाद विचारण आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वर्तमान मामले के साथ-साथ आयुध अधिनियम से संबंधित विचारण संख्या 337/2017 को भी जोड़ दिया गया है और उस मामले का विचारण अभी साक्ष्य चरण में है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि विचारण का शीघ्र निस्तारण संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक विचारण में देरी कर रहा है। इस न्यायालय को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में गुण-दोष है कि शीघ्र विचारण का अधिकार एक अभियुक्त का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर, गंभीर मामलों में भी, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है और आवेदक की कैद को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसके शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

12. **वैभव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2026 (2) अपराध 201** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किया गया:-

“10. ...उच्च न्यायालय को मात्र इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता पिछले नौ वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के शीघ्र विचारण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए और क्या आवश्यक था?

11. ...यह एक गंभीर मामला है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के शीघ्र विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।”

13. इसके अतिरिक्त, हालांकि यह दर्शाता है कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त, आवेदक का छः अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, किन्तु यह दर्शाया गया है कि चार मामलों में उसे वर्तमान मामले के बाद अभियुक्त बनाया गया है और दो पिछले मामलों में उसे पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने **अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3763** के मामले में पैराग्राफ-10 में निम्नलिखित टिप्पणी भी की:-

"10. अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की मौजूदगी, उसकी जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए विचारणीय कई कारकों में से एक है। किसी विशेष मामले में, यदि अभियुक्त प्रथम दृष्टया मजबूत मामला साबित करता है, तो तथ्यों और कारावास की अवधि के आधार पर, आपराधिक इतिहास की मौजूदगी जमानत से अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसा भी मामला हो सकता है जहां न्यायालय मात्र लंबे कारावास के आधार पर जमानत दे सकता है। ऐसे मामले में आपराधिक इतिहास प्रासंगिक नहीं हो सकता है। किसी विशेष मामले में, न्यायालय डिफॉल्ट जमानत दे सकता है। ऐसे मामले में भी, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अप्रासंगिक होते हैं। इस प्रकार, विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, न्यायालय आपराधिक इतिहास की मौजूदगी के बावजूद जमानत दे सकता है..."

17. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

18. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **बिहारी कुशवाहा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

20. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 5, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।